27/5/25 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा / अन्तर्गत धारा-212 राज० काश्तकारी अधि० पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा०पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हरनाथपुरा पटवार हलका निवारु, भू० अ०नि० क्षेत्र जयपुर पश्चिम, तहसील जयपुर,

फर्द अहकाम

प्रार्थी बनाम परसराम वगैरह

सहायक कलक्टर
नाम न्यायालय जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या नं - 15/4/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/5/25	जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता नं. नया 84, पुराना 81 के खसरा नम्बर ~~320~~ 321 रकबा 1बीघा 9बिस्वा एवं खाता नं नया 56पुराना 48 के खसरा नं. 320 रकबा 20 बीघा 17बिस्वा एवं खाता नं. नया 89 पुराना 83 के खसरा नं. 323 रकबा 2बीघा 13बिस्वा, खसरा नं. 325 रकबा 3बीघा 7बिस्वा, खसरा नं. 327 रकबा 3बीघा 3बिस्वा, खसरा नं. 328 रकबा 18बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा, 10 बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं. 1 लगा० 18 के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के पूर्वज राज्य० काश्तकारी अधि०	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

प्रकाश बनाम परसराम वगैरह

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

संख्या 01- 157/22

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	27/3/25	1955 लागू होने से पूर्व के से काबिज काश्त रहे, इसलिए प्रार्थी की पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात होने से, प्रार्थी के बाई बर्थ अधिकार निहित है। जिसके अनुसार प्रार्थी अपने हक व हिस्से की 1/72 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है, प्रार्थी की उपर्युक्त वर्णित भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित शामलाती भूमि है। अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाए ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण और खुर्द-बुर्द पर उतारू है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर (उत्तर) प्रथम

न्यायालय — प्रकाश बनाम परसराम वगैरा

संख्या — 51/57/22

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/5/24	भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा अथवा रुकावट नहीं करे। अप्रार्थी सं- 5 व 6 ने जबावी कथनों को दोहराते हुए बहस के समय निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 5 व 6 खसरा नं. 320 का रजिस्टर्ड बदल-पत्र दिनांक 06-10-2017 एवं नामान्तरण संख्या - 259 से उक्त आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है, जिसके विरुद्ध कोई तृतीय व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे।	

सहायक कलक्टर जयपुर (उत्तर) प्रथम

फर्द अहकाम

प्रकाश बनाम परमानन्द वगैरह

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर [stamp] ...पुर शहर (प्रथम)

केस संख्या ——/57/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/3/25	अप्रार्थी सं० 11 व 14 लगा० 17 ने अपने जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा०पत्र में अंकित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कहा कि खसरा नं. 323, 325, 327, 328 सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 324 हिस्सा 3/4, खसरा नं. 326 हिस्सा -1/2 की भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.12.1968 को अप्रार्थीगण 11 लगा० 18 के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिफल राशि अदा कर लगभग 54 वर्ष पूर्व क्रय की है। तब से राजस्व रिकॉर्ड

[signature]
सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

प्रकाश बनाम परसराम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या [illegible] - 137/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	[illegible]/5/25	में क्रेतागण तत्पश्चात् क्रेतागण के वारिसान काबिज काश्त होकर खातेदार काश्तकार अंकित रहे हैं। वर्तमान में उक्त भूमि 'जयपुर विकास प्राधिकरण' के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी का कोई कब्जा - काश्त खातेदारी व हक अधिकारी भूमि विवादग्रस्त पर नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रा०पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं -19 जयपुर विकास प्राधिकरण के अधि० ने दौराने बहस जाहिर किया कि खसरा नं 320 में हिस्सा 80/417, खसरा नं. 321 रकबा 1बीघा 9बिस्वा	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 14/1322

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	[illegible]	एवं खसरा नं. 323, 325, 327, 328 कुल किता 4 का कुल रकबा 10 बीघा बिम्बा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है इस प्रकार भिन अप्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन बखूबी साबित है। अतः प्रकरण प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।
		अधिवक्ता उभयपक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं -5, 6, 11, 14 लगा० 17, 19, 22, 23) की दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थना-पत्र के चरण सं- 02 में वर्णित विवादित भूमि

फर्द अहकाम

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी वगैरा

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	27/5/25	में अधिकांश हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं कुछ हिस्से पर अप्रार्थी सं- 5 व 6 रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है।	
		प्रार्थी ने प्रा० पत्र के चरण नं- 02 में सशपथ कथन भी किया है कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 लगा० 18 के नाम दर्ज व अंकित चली आ रही है।	
		चूंकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम ना होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। तो प्रथम दृष्टया मामला व	

अतिरिक्त कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

प्रकाश बनाम परसराम आदि

नाम न्यायालय

केस संख्या 181/82

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/3/25	सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हो पाया है। दूसरा, ~~मि~~ अप्रार्थीगणों के नाम अंकित भूमि पर यदि उन्हें किसी प्रकार से पाबंद किया जाता है तो उनके नामें दर्ज भूमि का विधि अनुसार उपयोग उपभोग लेने के कानूनी हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना प्रतीत होती है। सारतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

प्रकाश बनाम प्रेमचन्द [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 41 [illegible]/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/5/24	धारा-212 राज० काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने पर खारिज फरमाया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/5/24 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	